



कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh, ph-07762-220742 E-mail: gmcragarh.2013@gmail.com

क्रमांक/शा.चि.म./क्रय/2023/5867

रायगढ़ दिनांक 27-06-2023

// ई-निविदा सूचना (संशोधित) //

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासी दास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के लिए आऊटसोर्स के माध्यम से पंप अटेंडेंट (कुशल श्रेणी) श्रमिक प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट साइट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित किया जाता है -

निविदा प्रपत्र मूल्य - राशि रु. 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र)		
अमानत राशि :- अमानत राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाना होगा।		
के नाम से	अमानत राशि के रूप में	अमानत राशि (रूपए में)
छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति रायगढ़ (छ.ग.)	डिमांड ड्राफ्ट	20,000/- (बीस हजार रूपए)
निविदा विक्रय तिथि एवं समय	दिनांक 03-07-2023 को 11:00 AM बजे से।	
ई-प्रोक्योरमेंट साइट www.eproc.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन माध्यम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02-08-2023 को 11:59 AM बजे तक।	
भौतिक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02-08-2023 को 3:00 PM बजे तक।	
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 02-08-2023 को 4:00 PM बजे।	

निविदा से संबंधित आवश्यक नियम एवं शर्तों के विस्तृत जानकारी हेतु स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के वेबसाइट www.gmcragarh.edu.in का भी अवलोकन किया जा सकता है।

अधिष्ठाता

स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 27-06-2023

पृ.क्रमांक/शा.चि.म./क्रय/2023/5868-71

प्रतिलिपि :-

1. संचालनालय, जनसंपर्क विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य क्रय समिति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर निविदा सूचना/प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcragarh.edu.in एवं छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट साइट www.eproc.cgstate.gov.in में अपलोड करने हेतु पालनार्थ।

अधिष्ठाता

स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

निरंतर.....

1. कार्य का संक्षिप्त विवरण :-

निविदादाता द्वारा स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), एवं परिसर, बालक-बालिका छात्रावास, आवासीय परिसर एवं संस्थान की आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों में स्थापित बोरवेल, अण्डर ग्राउंड टैंक से सभी सिंटेक्स टैंकों में (24 X 7) घण्टे पानी सप्लाई एवं प्लम्बिंग संबंधित समस्त कार्य हेतु प्रशिक्षित पम्प अटेंडेंट (Pump Attendent) (कुशल श्रेणी) प्रदान करना अनिवार्य है।

2. निविदादाता के न्यूनतम आवश्यक योग्यता :-


निम्नलिखित न्यूनतम मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदादाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे :-

- 2.1 निविदादाता के पास शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/300 या अधिक विस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय/ अन्य शासकीय संस्थान में सफलतापूर्वक पम्प अटेंडेंट सेवाएं प्रदान करने हेतु कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी/संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, प्रदर्शन प्रमाण पत्र (Performance Certificate) एवं कार्य-आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर निविदादाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर अंकित होना अनिवार्य है।
- 2.2 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को विगत तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 01 करोड़ औसत वार्षिक टर्नओवर अनुलग्न-03 प्रारूप अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अभिप्रमाणित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.3 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा वैध जी.एस.टी प्रमाण पत्र, संस्थान का सील मोहर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2.4 निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- 2.5 सफल निविदादाता को दर अनुबंध पूर्व 07 दिवस के भीतर वैध श्रम अनुज्ञापति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.6 निविदादाता द्वारा श्रम नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम या बाल श्रमिक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2.7 लेबर लॉ, टैक्स, आयकर, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., किसी भी प्रकार के पुलिस प्रकरण इत्यादि के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा।
- 2.8 निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करना एवं स्वीकार करना अनिवार्य होगा। निविदा की कार्यवाही प्रारंभ होने पश्चात् निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में कोई भी पूछताछ, लिखित या मौखिक पर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3. व्यक्तिगत एवं वित्तीय क्षमताएं :-

3.1 व्यक्तिगत क्षमता :-

24 x 7 घण्टे जल आपूर्ति एवं समस्त प्लम्बिंग संबंधि कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए निविदादाता के पास योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी होना अनिवार्य है। कर्मचारियों की सूची, बायोडाटा स्पष्ट रूप से, पदनाम, कार्य सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।



निरंतर.....

3.2 वित्तीय क्षमता :-

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-2020, 2020-21, 2021-22) के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट से लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि खाता सहित, कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे निविदादाता की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो सके।

4. निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य जानकारी :-

निविदा के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है, जिसका लेख प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सूची-बद्ध किया गया है।

5. अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने के संबंध में :-

अमानत राशि निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना है :-

5.1 निविदादाता को निविदा के अंतर्गत प्री-क्वालिफिकेशन बीड के साथ अमानत राशि रु. 20 हजार (शब्दों में : बीस हजार रुपये मात्र) की डिमांड ड्राफ्ट, के रूप में, जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो "छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायगढ़ (छ.ग.)" के नाम पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अथवा प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक निति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक-54 पर परिभाषित है तथा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण करने पश्चात उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट प्रदान की जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी उक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

5.2 सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि रोककर शेष असफल निविदादाता की अमानत राशि 15 दिवस पश्चात वापस कर दिया जावेगा।

5.3 निविदा में पात्र सफल निविदाकार को कार्यालय, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा कार्य-आदेश जारी करने के पूर्व सुरक्षा निधि राशि रु. 01 लाख, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, "छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायगढ़ (छ.ग.)" के नाम पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.4 सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि, निविदा कार्यवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के एक महीने पश्चात वापस कर दिया जावेगा।


6. निविदादाता उक्त मापदण्ड को पूरा करते हुए भी निम्न कारणों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है -

6.1 निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेज फॉर्म, कथन/बयान एवं अनुलग्न में किसी भी प्रकार के भ्रामक/गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर।

6.2 खराब प्रदर्शन का रिकार्ड जैसे काम छोड़ना, अनुबंध नहीं करना, पूर्व में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होना, वित्तीय विफलताओं इत्यादि।

6.3 पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सेवा दे रहे फर्म/कंपनी/एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर।

निरंतर.....



7. निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता, कार्य को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यस्थल का पूर्व निरीक्षण किया जा सकता है। (कार्यस्थल का निरीक्षण करने हेतु संस्था को सूचित करना एवं अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।)

7.1 निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में होने वाले समस्त व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

8. यदि निविदादाता द्वारा दी जाने वाली जानकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात गलत पायी जाती है तो संबंधित निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर, फर्म को काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

8.1 "अधिष्ठाता, स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)" को निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी/विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने/कराने का अधिकार होगा।

9. आमंत्रित निविदा को "अधिष्ठाता, स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)" द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं तत्संबंध में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. अर्हता संबंधी जानकारी का अद्यतन होना :-





निविदादाता को अर्हता संबंधी मापदण्ड को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय दस्तावेजों का अद्यतन होना आवश्यक है एवं समय-समय पर दस्तावेजों का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

11. निविदा प्रस्तुत करना :-

प्री-क्वालिफिकेशन संबंधित दस्तावेजों एवं प्राईस बीड छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा प्री-क्वालिफिकेशन बीड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की हार्ड कॉपी एवं अमानत राशि रु. 20 हजार (शब्दों में : बीस हजार रुपये मात्र) की (डिमांड ड्राफ्ट) की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय पर "चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

12. सामान्य दिशा-निर्देश :-

- 12.1 निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सफल निविदादाता ही निविदा के अगले चरण के लिए पात्र होगा।
- 12.2 एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करने पर संबंधित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जावेगा।
- 12.3 संयुक्त फर्म/कंपनी/एजेंसी को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 12.4 निविदा के संबंध में प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सफल/असफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जावेगा और ना ही प्री-क्वालिफिकेशन बीड में सफल/असफल निविदादाता द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार किया जावेगा।





 निरंतर.....

13. अनुबंध दस्तावेज और जानकारी का उपयोग :-

13.1 सफल निविदादाता, निविदा प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध या उसके किसी भी प्रावधान या उसके संबंध में निविदा प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी का प्रगटीकरण सफल निविदादाता द्वारा उनके अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य फर्म/कंपनी/एजेंसी को नहीं करेगा।

13.2 सफल निविदादाता द्वारा तैनात पंप अटेंडेंट कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने की स्थिति में, "अधिष्ठाता, स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" के पास अनुबंध को तत्काल समाप्त करने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार होगा।


14. निविदा में पात्र सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा निधि जमा करने पश्चात ही संबंधित फर्म को पंप अटेंडेंट निर्धारित संख्या में प्रदान करने हेतु अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

15. सफल निविदादाता को "स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" में पंप अटेंडेंट निर्धारित संख्या में प्रदान करने हेतु जारी कार्य-आदेश के पूर्व राशि रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित "दर/कार्य, अनुबंध" इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।



अधिष्ठाता

स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)



निरंतर.....

आवश्यक सेवाओं का स्वरूप :-

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) भवन, बालक-बालिका छात्रावास, अधिष्ठाता बंगला, एम.एस. बंगला, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम आवासीय भवन, एवं परिसर में स्थापित बोरवेल तथा अण्डर ग्राउंड टैंक से सभी पानी टंकियों में पानी भरकर सभी भवनों में 24X7 घण्टे जल आपूर्ति करना एवं जल आपूर्ति हेतु जल पाईपलाईन के मरम्मत संबंधी कार्य के साथ-साथ पानी टंकियों की साफ-सफाई निम्नानुसार किया जाना होगा :-

01. चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवन, बालक-बालिका छात्रावास भवन, अधिष्ठाता बंगला, एम.एस.बंगला एवं परिसर में स्थापित बोरवेल, अण्डरग्राउंड टैंक से सभी सिंटेक्स टंकियों में पानी भरकर सभी भवनों में जल आपूर्ति 24x7 घंटे करना एवं जल आपूर्ति हेतु जल पाईपलाईन मरम्मत संबंधी कार्य करना अनिवार्य है।
02. आवासीय परिसर एवं भवनों में स्थित समस्त पानी टंकियों एवं जल पाईपलाईन का साप्ताहिक निरीक्षण कर मरम्मत कार्य किया जाना अनिवार्य है।
03. चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवन के उपरी छत के पानी टंकियों की सफाई पम्प अटेंडेंट द्वारा 03-03 माह में 01 बार किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य सावधानीपूर्वक किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति हानि होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
04. महाविद्यालय परिसर में स्थित अंडरग्राउंड टैंक का आवश्यकतानुसार सफाई कार्य पम्प अटेंडेंट द्वारा किया जाना है।
05. अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) अथवा प्रतिनिधि द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों का निर्वहन करना।
06. पम्प अटेंडेंट/जल पाईपलाईन संबंधित समस्त मरम्मत कार्य करने पश्चात प्रतिवेदन संबंधित विभाग/तल के विभागाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तत्संबंध में लॉग बुक का संधारण कर उस विभाग/तल के विभागाध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करेगा।




निरंतर.....



नियम एवं शर्तें


1. सफल निविदादाता द्वारा पम्प अटेंडेंट (कुशल श्रेणी) कर्मचारियों की संख्या-08 अनुसार अनुबंध के तहत अपने दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन करेगा। नियुक्त पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों के स्वास्थ्य अच्छा एवं कोविड वैक्सिनेटेड होना अनिवार्य है। हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना और शिष्ट होना अनिवार्य है।
2. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के लिए पम्प अटेंडेंट कर्मचारी की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
3. पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों की व्यवस्था हेतु निविदा की वैधता अवधि अनुबंध निष्पादित दिनांक से आगामी 01 वर्ष के लिए वैध रहेगा। "अधिष्ठाता, स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)", "क्रय-समिति, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" एवं "संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)" के निर्णय उपरांत आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित एवं सक्षम पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को खाखी वर्दीधारी, आई.डी. कार्ड, प्लम्बिंग टूल्स इत्यादि सहित तैनात किया जाना अनिवार्य है। जिस पर होने वाले व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार पम्प अटेंडेंट सर्विस कार्य का संपादन, संतोषजनक नहीं पाये जाने पर "अधिष्ठाता, स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" द्वारा संबंधित निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को 01 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा एवं निविदा में प्रस्तुत अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं असंतोषजनक कार्य का उल्लेख संबंधित के अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।
6. निविदादाता द्वारा तैनात पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट), पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, वैध आधार कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, बायोडाटा सहित अनुलग्न -01 अनुसार जमा करना अनिवार्य है।
7. सफल निविदादाता द्वारा यदि, तैनात पम्प अटेंडेंट कर्मचारी को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी को तैनात किया जाता है तो इसकी सूचना संस्थानुसार, अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को दिया जाना अनिवार्य होगा। परिवर्तित पम्प अटेंडेंट कर्मचारी के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट), पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, वैध आधार कार्ड, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, पासपोर्टसाईज फोटो, बायोडाटा सहित जमा करना अनिवार्य है।
8. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध अनुसार पम्प अटेंडेंट कर्मचारी, निर्धारित संख्या में नियुक्त किया जाना अनिवार्य है।
9. समस्त नियुक्त पम्प अटेंडेंट कर्मचारी की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। पम्प अटेंडेंट कर्मचारी का आचरण एवं प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए।

निरंतर.....



10. सफल निविदादाता को उनके द्वारा तैनात किये जाने वाले पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों के रूप में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा अपने पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों के अभिलेख जैसे—उपस्थिति पत्रक, अवकाश संबंधित अभिलेख, वेतन पर्ची इत्यादि का लेखा—जोखा रखना अनिवार्य होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) को निरीक्षण/जांच के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों के उपस्थिति हेतु "बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाइस" का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाइस उपस्थिति पत्रक अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उक्त बायोमेट्रीक अटेंडेंस डिवाइस निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर संस्था प्रमुख द्वारा चिन्हित स्थानों पर लगाया जाना है।
13. सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त किए गए पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों के उपस्थिति दर्ज किए गए बायोमेट्रीक उपस्थिति पत्रक एवं दैनिक उपस्थिति रजिस्टर को स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है और इसे मजदूरी भुगतान के लिए अंतिम अभिलेख/रिकार्ड माना जाएगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा तैनात किए जाने वाले समस्त पम्प अटेंडेंट कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अनुबंध अनुसार समस्त आवश्यक नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए, उचित एवं विवेकपूर्ण कार्य करेंगे एवं समस्त जनों से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे।
15. सफल निविदादाता को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. सफल निविदादाता को अपने अधीनस्थ पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को वेतन भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा। जिसमें से EPF, ESIC के कर्मचारी अंश को जमा करते हुए शेष वेतन का भुगतान बैंक खाते में किया जावेगा।
17. सफल निविदादाता को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समय—समय पर लगने वाले आवश्यक वैध प्रमाण पत्र इत्यादि संबंधित शासकीय अधिकारियों से प्राप्त कर इस संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदादाता न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, करो का भुगतान, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. के भुगतान एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं, समय—समय पर समस्त आर्थिक दायित्वों के पालन के लिए जिम्मेदार होगा। निविदादाता के विफलता के लिए, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा एवं सफल निविदादाता के किसी भी विफलता के लिए महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है एवं विफलता का समाधान भी निविदादाता को ही स्वयं करना होगा।
18. सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त पम्प अटेंडेंट (कुशल श्रेणी) कर्मचारी 08 घण्टें के शिफ्ट/पाली में (भोजन अवकाश सहित) काम करेंगे।


 निरंतर.....

19. सफल निविदादाता द्वारा पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को यदि प्रतिमाह वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल कर, अनुभव प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जावेगा एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
20. सफल निविदादाता द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ, पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को पूर्व महीने में किए गए भुगतान की जानकारी निम्न सारणी में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा –


क्रं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	बैंक शाखा का नाम	खाता क्रमांक	भुगतान किये जाने वाले कुल वेतन	कटौति का विवरण (EPF)		कटौति का विवरण (ESIC)		खाते में जमा किए जाने वाले वेतन [06-(07+09)]
						कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	कर्मचारी का अंशदान	नियोक्ता का	
<u>01</u>	<u>02</u>	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>05</u>	<u>06</u>	<u>07</u>	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>10</u>	<u>11</u>

21. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कर्मचारी को नियोजित करना एवं मजदूरी/वेतन भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभिन्न श्रम और अन्य कानूनों में निर्दिष्ट सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है।
22. सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत मासिक देयक में, कार्यरत पम्प अटेंडेंट (कुशल श्रेणी) कर्मचारियों के सप्ताहिक अवकाश का मजदूरी/वेतन समाहित रहेगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा किसी भी प्रकार से अतिरिक्त लागत का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जावेगा।
23. पम्प अटेंडेंट कर्मचारी कर्तव्य के दौरान पूर्णतः सावधानी पूर्वक कार्य का निर्वहन करेगा एवं इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
24. पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को कर्तव्य के दौरान आई.डी. कार्ड को गले में पहन कर रखना अनिवार्य होगा एवं सेवा छोड़ने, उनको सेवा से हटाने/निष्कासित करने पर आई.डी. कार्ड को जब्त करने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी एवं इसकी सूचना महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को करना अनिवार्य है।
25. निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम निविदा दर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा दर/कार्य-अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में प्रस्तुत करने पश्चात् ही "स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)" द्वारा कार्य-आदेश जारी किया जावेगा एवं कार्य-आदेशानुसार प्रतिमाह के प्रथम सात दिवस के भीतर देयक, "छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायगढ़ (छ.ग.)" के नाम से तैयार कर प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्तुत देयक के साथ पिछले माह के वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. भुगतान के रसीद/चालन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
26. सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, हिंसा, नशीले पदार्थ का सेवन, अधिकारी/कर्मचारी, छात्र-छात्राओं, मरीज एवं उनके परिजन से दुर्व्यवहार, असामाजिक कृत्य करते पाये जाने पर संबंधित पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाना अनिवार्य होगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी/जवाबदेही निविदादाता की होगी।
27. सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त पम्प अटेंडेंट कर्मचारी की संख्या में बदलाव की स्थिति में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी एवं प्राप्त लिखित सूचना के 02 से 03 दिवस के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
28. माह के कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर देयक में से आवश्यकतानुसार कटौती किया जावेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

निरंतर.....




29. सफल निविदादाता द्वारा रिकार्ड हेतु उपयोग में लाये जाने वाले समस्त रजिस्टर एवं रिकार्ड, आडिट इत्यादि के लिए आवश्यक होने पर स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधिकारियों को सफल निविदादाता द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि निविदादाता के रिकार्ड/अभिलेखों में कुछ कमियाँ पायी जाती हैं एवं कमियों का निराकरण हेतु चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) के प्राधिकारी द्वारा, निर्देश दिया जाता है तो निविदादाता को वैधानिक आवश्यकता का पालन करना होगा।
30. सफल निविदादाता द्वारा तैनात कर्मचारियों को किए गए अग्रिम भुगतान/कटौती के संबंध में किसी भी विवाद में महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) का कोई दायित्व नहीं होगा। संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का मौखिक या लिखित पत्राचार पर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।
31. पम्प अटेंडेंट कर्मचारी के अवकाश/अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेंसी ऐसी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ऐसी परिस्थिति में फर्म/कंपनी/एजेंसी, अवकाश में रहने वाले पम्प अटेंडेंट कर्मचारी के स्थान पर रिजर्व पम्प अटेंडेंट कर्मचारी प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।
32. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने पश्चात् यदि निविदादाता द्वारा कार्य करने से अस्वीकार किया जाता है तो, उनके द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।
33. सफल निविदादाता के वरिष्ठ स्तर का एक प्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम दो बार, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) परिसर में पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों की समीक्षा करेगा। सप्ताहिक दौरे के दौरान एजेंसी के वरिष्ठ प्रतिनिधि, को इस संबंध में अधिष्ठाता, स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) तथा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) से चर्चा एवं वार्ता करना अनिवार्य है। ताकि निविदादाता द्वारा तैनात पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ/कर्तव्यों में यदि कोई कमियाँ पाई गई हो तो उसका निवारण किया जाना अनिवार्य है।
34. सफल निविदादाता विभिन्न कानूनों/अधिनियमों/नियमों का अनुपालन (जो लागू हो) सुनिश्चित करेगा, जिसमें निम्नलिखित एवं उनके पुनः अधिनियम/संशोधन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :-
 मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान
 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952
 फ़ैक्ट्री अधिनियम 1948
 अनुबंध श्रम (विनियमन) अधिनियम 1970
 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
 बाल रोजगार अधिनियम 1938
 मोटर वाहन अधिनियम 1988
 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948



निरंतर.....


35. निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज एवं लाइसेंस, वैध एवं जीवित होना अनिवार्य है।
36. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं लाइसेंस की वैधता, अनुबंध अवधि में समाप्त होती है तो, समाप्ति के एक माह के भीतर नवीनीकरण दस्तावेज एवं लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदादाता को जारी कार्यदेश निरस्त कर जमा अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि राजसात करते हुए काली सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।
37. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में "अधिष्ठाता, स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़" का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
38. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में प्रकरण रायगढ़ (छ.ग.) न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
39. पम्प अटेंडेंट(कुशल श्रेणी) व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " एवं कुशल श्रेणी श्रमिकों के अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय-समय पर कलेक्टर जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा।
40. सफल निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में यदि कमी पायी जाती है तो संबंधित फर्म द्वारा जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात कर संबंधित फर्म को काली सूची में शामिल कर, इसका उल्लेख अनुभव प्रमाण पत्र में किया जावेगा।


27/6/22

अधिष्ठाता

स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)









निरंतर.....

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

पम्प अटेंडेंट सर्विस व्यवस्था हेतु निविदा छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित किया जावेगा। प्रथम चरण प्री-क्वालिफिकेशन बीड का होगा, जिसमें अर्हता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा एवं भौतिक दस्तावेज (अमानत राशि की मूल प्रति सहित) एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है एवं द्वितीय चरण प्राईस बीड का होगा, जिसमें ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन प्राईस/दर प्रस्तुत किया जाना होगा। (हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दर स्वीकार्य नहीं होगा।)

(01) प्री-क्वालिफिकेशन बिड के अंतर्गत निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा -

1. छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्योरमेंट साइट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करते समय भुगतान किये गये निविदा शुल्क राशि रु. 3000.00 (शब्दों में : राशि रु. तीन हजार मात्र) भुगतान की रसीद की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। (निविदा शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है।)
2. अमानत राशि तथा सुरक्षा निधि :- अमानत राशि रु. 20 हजार की डिमांड ड्राफ्ट, "छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति, रायगढ़ (छ.ग.)" के नाम पर हो एवं जो भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक से जारी किया गया हो, तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. वैध फर्म पंजीयन प्रमाण पत्र (दुकान स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र) की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न एवं कर समाशोधन (Tax Clearing) प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान के सील सहित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. निविदादाता के पास शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/300 या अधिक बिस्तर वाले शासकीय चिकित्सालय /अन्य शासकीय संस्थान में सफलतापूर्वक पम्प अटेंडेंट सेवाएं प्रदान करने हेतु कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में सक्षम प्राधिकारी/संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रदर्शन प्रमाण पत्र एवं कार्य-आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है जिस पर निविदादाता के स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर अंकित होना अनिवार्य होगा।
7. विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र जो 01 करोड़ से अधिक का हो एवं चार्टर्ड एकाउंट से अभिप्रमाणित हो प्रमाण-पत्र अनुलग्न-03 प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।






निरंतर.....


8. निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. वैध पंजीयन होना अनिवार्य है एवं प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील मोहर सहित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म/एजेंसी के पास आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र ISO 9001: 2008/ OHAS 18001:2007/ ENISO 14001 : 2004 एवं अन्य आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र धारक को वरियता दिया जावेगा।
10. निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज एवं लाइसेंस, जीवित एवं वैध होना अनिवार्य है।
11. निविदादाता फर्म/कंपनी/एजेंसी को पिछले वित्तीय वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी संस्था द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, का शपथ पत्र, राशि रु. 50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से अभिप्रमाणित सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में शपथ-पत्र, राशि रु. 10 के स्टाम्प पर नोटरी की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, शपथ पत्र, राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी से अभिप्रमाणित सहित मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों में निविदादाता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं संस्थान का सील/मुहर सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(02) ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन प्राईस बीड निम्न शर्त अनुसार प्रस्तुत किया जाना होगा -

1. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत ऑफ लाईन प्राईस बीड स्वीकार्य नहीं होगा।
2. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा एवं शासन द्वारा प्रचलित समय-समय पर संशोधित आदेशानुसार ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान किया जावेगा।
3. ऑपरेशनल चार्ज, में कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, अवकाश वेतन, वर्दी, बीमा एवं निविदाकर्ता का लाभांश इत्यादि शामिल होगा।
4. पम्प अटेंडेंट व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्ग के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " एवं कुशल श्रेणी श्रमिकों के अनुसार देय होगा, जिसका पुनरीक्षण समय-समय पर कलेक्टर जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा जारी आदेशों के अधीन होगा।
5. कलेक्टर जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा "जोन 'ब' " एवं कुशल श्रेणी श्रमिकों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन को मान्य करते हुए "ऑपरेशनल चार्ज" प्रतिशत में निम्नानुसार कॉलम 03 में प्रस्तुत करना है। (कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/3229/वित्त-लेखा/2023, रायगढ़ दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा प्रचलित दर एवं समय समय पर पुनरीक्षित दर के आधार पर ही ऑपरेशनल चार्ज प्रतिशत में प्रस्तुत करना है।)

S.No.	Particular	Operational Charge to Quote In Percentage On Basis of Per Person Per Month
<u>01</u>	<u>02</u>	<u>03</u>
01	Operational Charge for supply of Manpower : - Pump Attendent (Skilled)	

निरंतर.....



6. पम्प अटेंडेंट व्यवस्था हेतु ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्राईस बीड के अंतर्गत "ऑपरेशनल चार्ज" प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर प्रतिशत में उक्त प्रारूप अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।
7. ऑपरेशनल चार्ज प्रति व्यक्ति प्रति माह के दर से प्रतिशत में दर्शाना अनिवार्य है एवं ऑपरेशनल चार्ज हेतु प्रस्तुत दर प्रतिशत दशमलव के एक अंक ही तक प्रस्तुत किया जाना है। (उदाहरण 1.0 या 2.0 या 1.4 या 1.6)।

निविदा निर्धारण की प्रक्रिया :-

निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत "न्यूनतम निविदा दर" का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

1. निविदा के अंतर्गत प्रथम चरण में निविदादाता द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत अर्हता संबंधी दस्तावेज को ऑनलाईन खोला जाएगा एवं अवलोकन किया जाएगा। उक्त प्री-क्वालिफिकेशन बीड में पात्र निविदादाता को अगले चरण अर्थात् प्राईस बीड के लिए योग्य घोषित किया जावेगा।
2. निविदा के अंतर्गत द्वितीय चरण के अंतर्गत प्री-क्वालिफिकेशन बीड में पात्र निविदादाता द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तुत प्राईस बीड (जिसमें पम्प अटेंडेंट के लिए केवल ऑपरेशनल चार्ज प्रतिशत में प्रस्तुत करना है) को खोला जावेगा एवं अवलोकन किया जावेगा।
3. पम्प अटेंडेंट व्यवस्था हेतु प्राईस बीड के अंतर्गत "ऑपरेशनल चार्ज" प्रतिशत में होना अनिवार्य है।
4. निविदादाताओं द्वारा प्राईस बीड के अंतर्गत प्रस्तुत "ऑपरेशनल चार्ज" का ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम तुलनात्मक प्रपत्र तैयार कर "न्यूनतम निविदा दर" का निर्धारण किया जावेगा।
5. ई-प्रोक्योरमेंट साईट www.eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से तैयार किये गए उक्त न्यूनतम तुलनात्मक प्रपत्र में यदि दो या दो से अधिक फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर समतुल्य पाया जाता है तो न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा।
 - (1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 04 वर्ष का अनुभव - 02 अंक।
 - (2) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 05 वर्ष का अनुभव - 04 अंक।
 - (3) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय चिकित्सालय/शासकीय संस्थान में पूर्ण 06 वर्ष एवं इससे अधिक वर्ष का अनुभव - 05 अंक।

उपरोक्तानुसार निर्धारण पश्चात् भी यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का अंक समतुल्य पाया जाता है तो "शासकीय चिकित्सालय में जिस निविदादाता का अनुभव अधिक होगा", को प्राथमिकता दिया जावेगा।

6. उक्त न्यूनतम निविदा दर प्रदायकर्ता फर्म/कंपनी/एजेंसी को सफल निविदादाता मान्य करते हुए अनुबंध निष्पादित करने एवं कार्य-आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जावेगी।

निरंतर.....

07. सफल निविदादाता द्वारा पम्प अटेंडेंट सर्विस (Pump Attendent Services) कार्य हेतु प्रस्तुत देयकों के भुगतान की गणना निम्न प्रारूप अनुसार किया जावेगा -

S.No.	Particular	Minimum Wages (As per Norms) (Per Person Per Month Basis)	Operation Charge (Per Person Per Month) (In Percentage)	EPF (As per Norms)	ESIC (As per Norms)	GST (As Per Govt. Norms)	Total (Rs.)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	Pump Attendent (Skilled)	पम्प अटेंडेंट के लिए मजदूरी/वेतन भुगतान कलेक्टर जिला- रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा निर्धारित " जोन 'ब' " अनुसार कुशल श्रेणी अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुसार देय होगा।	ऑपरेशनल चार्ज प्राईस बीड में प्राप्त न्यूनतम दर प्रतिशत अनुसार गणना किया जावेगा।	शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।	

- 7.1 न्यूनतम मासिक मजदूरी/वेतन :- पम्प अटेंडेंट व्यवस्था हेतु विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन का भुगतान कलेक्टर जिला - रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा निर्धारित "जोन 'ब' " एवं "कुशल श्रेणी" श्रमिकों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुसार न्यूनतम मासिक वेतन देय होगा एवं समय-समय पर कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा पुनरीक्षित वेतन अनुसार देय होगा।
- 7.2 ऑपरेशनल चार्ज :- कलेक्टर जिला -रायगढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा निर्धारित "जोन 'ब'" एवं "कुशल श्रेणी" श्रमिकों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुसार निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन को मान्य करते हुए प्रतिशत में प्रस्तुत ऑपरेशनल चार्ज अनुसार देय होगा।
- 7.3 ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. :- ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा एवं समय-समय पर शासन द्वारा लागू दर अनुसार देय होगा।
- 7.4 जी.एस.टी. :- जी.एस.टी. का भुगतान शासकीय नियमानुसार किया जावेगा।



अधिष्ठाता

स्व० श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

निरंतर.....


अनुलग्न : 01

(01) पम्प अटेंडेंट (कुशल श्रेणी) के लिए निर्धारित योग्यता :-

- 1.1 किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
- 1.2 मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्था से आई.टी.आई. प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। पम्प ऑपरेटर/मोटर पम्प संचालन एवं प्लम्बिंग के कार्यानुभवी को प्राथमिकता।
- 1.3 न्यूनतम उम्र 18 वर्ष (01.01.2023 की स्थिति में)
- 1.4 शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।
- 1.5 ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- 1.6 पम्प अटेंडेंट हेतु आवेदनकर्ता का पूर्व में किसी भी प्रकार का कानूनी रूप से सजा या अभियोग का पिछला रिकार्ड नहीं होना चाहिए एवं सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य है।

(02) पम्प अटेंडेंट (कुशल श्रेणी) का कर्तव्य एवं दायित्व :-

- 1.1 स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.), बालक-बालिका छात्रावास एवं बालक-बालिका छात्रावास, आडिटोरियम, अतिथि गृह, आवासीय परिसर एवं अन्य स्थलों में स्थापित बोरवेल, अण्डर ग्राउंड टैंक से सभी सिंटेक्स टंकियों में 24x7 घण्टे पानी सप्लाई एवं प्लम्बिंग संबंधित समस्त कार्य करना अनिवार्य है।
- 1.2 पम्प अटेंडेंट द्वारा किये गए प्लम्बिंग संबंधित कार्य कार्यों का साप्ताहिक प्रतिदिन अधिष्ठाता एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 1.3 पम्प अटेंडेंट रजिस्टर का संधारण करेगा। जिसमें महाविद्यालय, चिकित्सालय, बालक-बालिका छात्रावास, आडिटोरियम, अतिथि गृह, आवासीय परिसर से पम्प अटेंडेंट संबंधित समस्त शिकायतों को दर्ज करेगा एवं शिकायतों के आधार पर उसका निवारण/उचित कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।
- 1.4 पम्प अटेंडेंट को महाविद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय परिसर, आडिटोरियम के समस्त प्लम्बिंग संबंधित मरम्मत कार्य हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारी का मोबाईल नम्बर रखना अनिवार्य होगा एवं संबंधित अधिकारी से चर्चा कर संबंधित शिकायतों का निवारण/आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य है।
- 1.5 समस्त पम्प अटेंडेंट कर्मी को खाखी वर्दी में होना अनिवार्य है।
- 1.6 सफल निविदादाता को अधीनस्थ पम्प अटेंडेंट कर्मचारी को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अधीनस्थ ओ.टी./आई.सी.यू./लैब/विभागों/वार्डों/छात्रावास/कार्यालय, इत्यादि स्थानों की पम्प अटेंडेंट संबंधी जानकारी से अवगत कराना अनिवार्य है।
- 1.7 सफल निविदा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ समस्त पम्प अटेंडेंट कर्मी रिश्तत की मांग करने में शामिल नहीं है।
- 1.8 पम्प अटेंडेंट कर्मचारियों को कर्तव्य के दौरान अपना आई.डी. कार्ड गले में पहन कर रखना अनिवार्य है एवं पम्प अटेंडेंट कर्मचारी के सेवा छोड़ने, उनको सेवा से हटाने/निष्कासित करने पर आई.डी. कार्ड को जब्त करने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी एवं इसकी सूचना महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को करना अनिवार्य है।
- 1.9 महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना।
- 1.10 पम्प अटेंडेंट कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल को खाली तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक दूसरा पम्प अटेंडेंट कर्मचारी उस स्थल पर उपस्थित ना हो जाये।
- 1.11 मरीजों एवं परिजन/अटेंडेंट/स्टाफ/कर्मचारी/छात्र-छात्राओं से दुर्व्यहार/बहस नहीं करेगा।
- 1.12 कर्तव्य के दौरान हमेशा सतर्क रहना अनिवार्य होगा।
- 1.13 पम्प अटेंडेंट कर्मचारी को कर्तव्य के दौरान अपना आई.डी कार्ड गले में पहन कर रखना अनिवार्य है।


 निरंतर.....

अनुलग्न : 02

On the letter pad of Chartered Accountant

This is to certify that the total turnover in the case of M/s..... having PAN
..... is as under:

Financial Year/Period	Amount in Rupees (Figures)	Amount in Rupees (words)
2019-20		
2020-21		
2021-22		
Total		

Average = Total/3

It is further certified that the above mentioned amounts have been derived from the books of accounts presented before us for the above mentioned periods.

Chartered Accountants







 निरंतर.....

अनुलग्न : 03

बायोडाटा

कर्मचारी का
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो
स्वहस्ताक्षरित

1. कर्मचारी का नाम :
(हिन्दी)
(अंग्रेजी)
2. पिता का नाम :
3. माता का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. कर्मचारी का उम्र :
6. कर्मचारी का पद नाम :.....
7. कर्मचारी का मोबाईल नम्बर :.....
8. आधार नम्बर :
9. मतदाता परिचय पत्र क्रमांक :.....
10. कर्मचारी का ई.पी.एफ. :.....
11. कर्मचारी का ई.एस.आई. नम्बर :.....
12. कर्मचारी का बैंक खाता क्रमांक :.....
13. कर्मचारी का वर्तमान पता :
-
-
14. कर्मचारी का स्थायी पता :
-
-
15. कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र :.....
16. कर्मचारी का पुलीस सत्यापन प्रमाण पत्र :
- (दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है)
17. कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता :
18. कर्मचारी का कोविड वैक्शनेशन प्रमाण पत्र :.....
- (दस्तावेज संलग्न अनिवार्य है)

निविदादाता का हस्ताक्षर
संस्थान का सील/मोहर सहित

कर्मचारी का हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/3229 / वित्त-लेखा / 2023,

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2023

श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श.आ. / 2023/1972, दिनांक 24.03.2023 के साथ संलग्न पुस्तिका के अनुसूची 'ग' में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा उस पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है, निर्धारित किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम 43 में निहित प्रावधानों एवं छ.ग. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 303/आर/577/92/नि-5/चार दिनांक 30.06.1992 तथा छ.ग. राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा-2 (घ) में निहित शक्तियों के अनुसार मैं श्री तारन प्रकाश सिन्हा, गा.प्र.से. कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक के लिए निर्धारित करता हूँ :-

क्र	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (आंकड़े रु.में)	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	व	8060.00	268.67	2160.00	72.00	10220.00	340.67 (341)
		स	7800.00	260.00	2160.00	72.00	9960.00	332.00 (332)
2	अर्द्धकुशल	व	8710.00	290.33	2160.00	72.00	10870.00	362.33 (362)
		स	8450.00	281.67	2160.00	72.00	10610.00	353.67 (354)
3	कुशल	व	9490.00	316.33	2160.00	72.00	11650.00	388.33 (388)
		स	9230.00	307.67	2160.00	72.00	11390.00	379.67 (380)
4	उच्च कुशल	व	10270.00	342.33	2160.00	72.00	12430.00	414.33 (414)
		स	10010.00	333.67	2160.00	72.00	12170.00	405.67 (406)

टीप :-

- जोन 'ब' - नगर पालिक निगम रायगढ़ सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र।
- जोन 'स' - उपरोक्त अ एवं व में उल्लेखित क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष समस्त क्षेत्र।
- उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in एवं श्रम विभाग के वेबसाईट www.cg!abour.gov.in पर भी उपलब्ध है, जिसमें उच्च कुशल वर्ग के संबंध में भी अवलोकन किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें / टीप :-

- 1/ वर्कचार्ज कंटीजेंसी पेड एम्पलाई पर उपयुक्त दरें प्रभावशील नहीं होंगी।
- 2/ इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित करेगा।

निरन्तर

- 3/ उपरोक्त नदी हुई दरें संबंधित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोई श्रेणी अवशेष रहता हो तो अकुशल श्रेणी के लिए रुपये 9960/-, अर्द्धकुशल के लिए रुपये 10610/-, कुशल के लिये रुपये 11390/- एवं उच्च कुशल के लिए रुपये 12170/- प्रतिमाह के मान से देय होगा।
- 4/ उपरोक्त सभी न्यूनतम दरें स्त्री/पुरुष को समान रूप से देय होगी।
- 5/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 303/आर/577/92/नि.-5/चार दिनांक 30.06.1992 की कंडिका (क) (चार) के अनुसार यदि किसी पद वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजनों के अधीन समतुल्य पद के लिए निर्धारित वेतन से अधिक निर्धारित है तो उसमें तब तक कोई वृद्धि नहीं की जावेगी जब तक कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें उसके बराबर नहीं हो जाता।
- 6/ अधिसूचित न्यूनतम वेतन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है, इसलिए दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की पात्रता नहीं है।
- 7/ जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कलैण्डर माह की समाप्ति पर देय होगी, मासिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारी को सप्ताह के एक दिन का वेतन सहित अवकाश की पात्रता होगी।

Taran

(तारन प्रकाश सिन्हा)

कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2023

पृ. क्रमांक/3229A/वित्त-लेखा./2023,
प्रतिलिपि :-

- 1/ सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर जिला रायपुर।
- 2/ श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
— की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3/ समस्त कलेक्टर..... छत्तीसगढ़।
- 4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)
- 5/ सर्व कार्यालय/विभाग प्रमुख, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 6/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायगढ़ (छ.ग.)
- 7/ आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)
- 8/ सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 9/ सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 10/ सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पालिक/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11/ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12/ राहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

Taran

(तारन प्रकाश सिन्हा)

कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)